उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्याः—641—कार्य/चौदह—पाकालि/2023—18—के/2019 दिनांकः 13 मार्च, 2023

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/
पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0,
वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ
एवं केस्को—कानपुर।

विषयः— विद्युतीय व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु एल0टी0, 11 के0वी0 एवं 33 के0वी0 लाइनों के नियोजित शटडाउन अथवा ब्रेक डाउन को ठीक करने के लिए बाह्य एजेन्सियों के द्वारा आपूर्तित कर्मियों को शटडाउन दिये जाने हेतु अधिकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कारपोरेशन के कार्यालय—ज्ञाप सं0—1651—कार्य/चौदह—पाकालि/2020—18—के/2019 दिनांक 06.10.2020 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विद्युतीय व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु एल0टी0, 11 के0वी0 एवं 33 के0वी0 लाइनों के नियोजित शटडाउन अथवा ब्रेक डाउन को ठीक करने के लिए बाह्य एजेन्सियों के द्वारा आपूर्तित निम्नलिखित कर्मियों को शटडाउन दिये जाने हेतु अधिकृत किया गया है:—

1. वायरमैन/इलेक्ट्रीशियन/लाइनमैन ट्रेड में द्विवर्षीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यवसायिक प्रमाण पत्र (NCVT/SCVT) धारक हों। अथवा
2. विद्युत प्रणाली पर न्यूनतम 05 वर्ष का कार्य अनुभव रखने वाले उन कर्मियों को जिन्होंने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन, भारत सरकार के सहभागी पावर सेक्टर स्किल काउसिंल (PSSC) के रिकगनिशन ऑफ प्रायर लर्निंग (RPL) के अन्तर्गत डिस्ट्रीब्यूशन लाइनमैन जॉब रोल का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।

अतः आपसे अनुरोध है कि यथावश्यकता कारपोरेशन के संदर्भित कार्यालय ज्ञाप सं0—1651—कार्य/चौदह—पाकालि/2020—18—के/2019 दिनांक 06.10.2020 द्वारा शटडाउन हेतु अधिकृत किये गये बाह्य एजेन्सियों द्वारा आपूर्तित उपरोक्त कार्मिकों से सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति संचालित कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः— यथोपरि।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

क्रमशः...2.....

संख्या : 641 (1)–कार्य/चौदह–पाकालि/2023 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणान्चल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को–कानपुर।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0/वित्त/वितरण/वाणिज्य/कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (का0 एवं प्रशा0/वित्त/तकनीकी/वाणिज्य), समस्त डिस्काम।
6. अपर सचिव–I/II/III, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण)/अधीक्षण अभियन्ता (वितरण), समस्त डिस्काम एवं केस्को, कानपुर।
8. समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता (वितरण), समस्त डिस्काम एवं केस्को, कानपुर।
10. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट–www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
11. कट फाइल।

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या–1651–कार्य/चौदह–पाकालि/2020–18–के/2019 दिनांक 6 अक्टूबर, 2020

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1535–कार्य/चौदह–पाकालि/2019–18–के/2019 दिनांक 29.08.2019 को अवक्रमित करते हुए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उनके सहयोगी समस्त वितरण निगमों में नियमित तकनीशियन लाइन (पूर्ववर्ती पदनाम टी0जी0–2) कार्मिकों के अभाव में विद्युतीय व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु एल0टी0, 11 के0वी0 एवं 33 के0वी0 लाइनों के नियोजित शटडाउन अथवा ब्रेक डाउन को ठीक करने के लिए बाह्य एजेंन्सियों के द्वारा आपूर्तित निम्नलिखित कर्मियों को शटडाउन दिये जाने हेतु एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है :–

1. वायरमैन/इलेक्ट्रीशियन/लाइनमैन ट्रेड में द्विवर्षीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यवसायिक प्रमाण पत्र (NCVT/SCVT) धारक हों। अथवा

2. विद्युत प्रणाली पर न्यूनतम 05 वर्ष का कार्य अनुभव रखने वाले उन कर्मियों को जिन्होंने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन, भारत सरकार के सहभागी पावर सेक्टर स्किल काउसिंल (PSSC) के रिकगनिशन ऑफ प्रायर लर्निंग (RPL) के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूशन लाइनमैन जॉब रोल का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।

3. शट्डाउन देते समय सम्बन्धित एस0एस0ओ0(ऑन ड्यूटी) यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य किये जाने वाले अधिष्ठान(लाइन/उपकरण) पूर्णतः निर्जीव एवं अर्थ भी कर दिया गया है तथा शट्डाउन वापस होने के उपरान्त सजीव करने से पूर्व अर्थ लिंक एवं कार्मिक हटा लिये गये है।

अध्यक्ष

संख्या : 1651(1)–कार्य/चौदह–पाकालि/2020 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. समस्त निदेशकगण (का0प्र0 एवं प्रशा0/वित्त/वितरण/वाणिज्य/कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. समस्त प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणान्चल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/केस्को–कानपुर।
6. समस्त निदेशकगण (का0प्र0 एवं प्रशा0/वित्त/वितरण/वाणिज्य), समस्त डिस्काम।
7. अपर सचिव–I/II/III, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
9. महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण)/अधीक्षण अभियन्ता (वितरण), समस्त डिस्काम एवं केस्को, कानपुर।
11. समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. समस्त अधिशासी अभियन्ता (वितरण), समस्त डिस्काम एवं केस्को, कानपुर।
13. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट–www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
14. कट फाइल।

आज्ञा से,

Atul

(अतुल कुमार)

अपर-सचिव (प्रथम)